

नंबर

लय उपखण्ड

कठूमर जिला अलवर

घिवक्ता का नं०

2/275/2022

तारीख रजू

करण

बनाम

मानसिंह वगैरा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
22.09.2022	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की तारीख में वकील सायला ने शपथ पत्र नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं467, 730/2803, 732/2804 वाके ग्राम गारू तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में प्रार्थी के हिस्से तक रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। एवं कब्जे काश्त में रूकावट मजाहत पैदा ना करे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर वहस के लिए कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, एवं तलवी नही भरने पर अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 20.10.2022 को पेश करे कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 20.10.2022 को वास्ते तलवी अप्रार्थी पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)</p> <p>20/10/22 पत्रावली पंजम हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं आये। उनके का-2 आवाज लाई गई कोई उपस्थित नहीं आये। अतः उनके का-2 पत्र 212/275/2022 के अहकाम में पेश किया जा रहा है। पत्रावली में खारिज किया जा रहा है। पत्रावली में मूल हुकम के अहकाम से का-2 का-2 तलवी हुकम के साथ खारिज रहे।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०</p>	